

**स्वास्थ्य विभाग (बिहार सरकार)
के अधीन**

**राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सीनियर
रेजिडेन्ट / दूयूटर के रिक्त पदों (टेन्योर तीन वर्षीय) पर नियुक्ति
हेतु पैनल निर्माण**

वर्ष-2023

**संशोधित
विवरण-पुस्तिका**

ऑन-लाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि : 12.03.2023

LIST OF DOCUMENTS

प्रमाण पत्रों की सूची

| क्र.सं. | अनुलग्नक - विवरणी | व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है |
|---------|---|---|
| 1. | मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र / अंक पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो। | सम्बन्धित बोर्ड / समकक्ष द्वारा निर्गत। |
| 2. | *जाति प्रमाण पत्र | Non Creamylayer सहित चालू वित्तीय वर्ष में स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत। |
| 3. | चरित्र प्रमाण पत्र | जिस संस्थान में अन्तिम रूप से नामांकित हो, उसके प्राचार्य। |
| 4. | *आय प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार कॉउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है।) | स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत। |
| 5. | Income & Assess Certificate to be produced by Economically Weaker Section (EWS) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र | Issued by concerned DM / SDM / CO of permanent resident in prescribed proforma for Current Financial Year. स्थायी निवास के डी.एम./ एस.डी.एम./ सी.ओ. द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में निर्गत। |
| 6. | हाल का खिचा गया फोटोग्राफ | स्वहस्ताक्षरित फोटो। |
| 7. | बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र | स्थायी निवास के अंचाधिकारी द्वारा निर्गत। |
| 8. | स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि अध्यर्थी से किस प्रकार का सम्बन्ध है। | सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत। |
| 9. | दिव्यांगता कोटा (DQ) प्रमाण पत्र। | प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत। |
| 10. | कार्यानुभव प्रमाण पत्र। | सम्बन्धित एवं सक्षम पदाधिकारी (प्राचार्य / अधीक्षक / सिविल सर्जन / निदेशक) द्वारा निर्गत। |
| 11. | कॉडिका 2.(xi) के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र। | नियंत्री पदाधिकारी का अनुशंसा एवं विभाग द्वारा निर्गत। |
| 12. | विवरण पुस्तिका के अनुसार अन्य संबंधित प्रमाण पत्र। | सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत। |

* NOTE : To be furnished, wherever applicable.

विवरण-पत्रिका

स्वास्थ्य विभाग (बिहार सरकार) के अधीन

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट / दूर्घटक के रिक्त पदों (टेन्योर तीन वर्षीय) पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण

1. स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-सं.सं.-17/विविध-01-27/2022-1219(17) दिनांक 15.12.2022 के अधियाचना के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट / दूर्घटक के रिक्त पदों (टेन्योर तीन वर्षीय) तथा बिहार चिकित्सा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्ति नियमवाली-2008 व संशोधित नियमवाली-2013 के अन्तर्गत पैनल निर्माण हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आर्मित्रित किया जाता है।
- (क) पदों की कोटिवार संख्या : कुल पदों की संख्या-504 हैं। रिक्त पदों की विषयवार / कोटिवार विवरणी हेतु विवरण पुस्तिका का परिशिष्ट-1 देखें।

वेतनमान : टेन्योर पद पर नियुक्ति के उपरान्त चिकित्सक शिक्षकों को वेतनमान लेबल-9 एवं स्वास्थ्य सेवा संबंध में पूर्व से कार्यरत शिक्षक जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वही वेतन मँहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ते के साथ देय होगा।

(ख) **शैक्षणिक योग्यता :**

सीनियर रेजिडेन्ट / दूर्घटक के 40% पद बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संबंध के सदस्यों से भरा जायेगा एवं 40% पद राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम (रेजिडेन्सी स्कीम के अन्तर्गत) पूरा किये चिकित्सकों से भरा जायेगा तथा शेष 20% पद वैसे चिकित्सकों से भरा जायेगा जिन्होंने राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातकोत्तर डिग्री (रेजिडेन्सी स्कीम) प्राप्त किया हो। सीनियर रेजिडेन्ट / दूर्घटक के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विषय-विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि होंगी। सुयोग्य उम्मीदवारों की कमी होने की स्थिति में ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा होंगी, जिसके लिए उन्हें भी विषय-विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि के समरूप 10 अंक देय होगा। परन्तु मेधासूची में उनका स्थान स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों से नीचे होगा।

भारतीय चिकित्सा परिषद् के शिक्षक पात्रता योग्यता के अनुरूप समकक्ष स्नातकोत्तर डिग्रीधारी भी चयन के पात्र होंगे।

1.1 **राष्ट्रीयता :**

आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।

1.2 **आयु-सीमा :**

सामान्य प्राशासन विभाग के संकल्प संख्या-294 दिनांक 07.01.2016 के आलोक में निर्धारित उम्र की सीमा की गणना दिनांक 01.08.2022 के आधार पर की जायेगी।

अधिकतम आयु - अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष, अनारक्षित (महिला)-40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष।

परन्तु नियमवाली में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संबंध के सदस्यों के लिये उम्र सीमा में कोटिवार 05 वर्षों की छूट दी जायेगी।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा, किन्तु दिव्यांगता के आधार पर दी जाने वाली अधिकतम आयुसीमा में छूट अथवा किसी अन्य आधार पर दी जाने वाली छूट के प्रावधान में से कोई एक ही प्रावधान के अन्तर्गत छूट अभ्यर्थी को अनुमान्य कराया जायेगा।

1.3 **आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :**

- (i) नियुक्ति के लिए ऑन-लाइन आवेदन भेजने की आरम्भिक तिथि तक निर्धारित / लागू आरक्षण संबंधी बिहार सरकार के नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।

- (ii) आरक्षित कोटि के अध्यर्थियों को चालू वित्तीय वर्ष का क्रिमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा। क्रिमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जायेंगे।
- (iii) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष का होना अनिवार्य है।
- (iv) जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं वे उपरोक्त पद हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आरक्षण-लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे।
- (v) ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में किसी भी आवेदन पर विचार भी नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें Unreserved (UR) श्रेणी में माना जायेगा।
- (vi) महिला / दिव्यांग / स्वतंत्रता सेनानियों के नाती / नतिनी / पोता /पोती को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

1.4 दिव्यांग कोटा एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/ पोती / नाती / नतिनी के अन्तर्गत पदों का आरक्षण :-

निम्नलिखित दोनों आरक्षण क्षैतिज होगा।

- i. दिव्यांगजनों के लिए 21 पदें (किसी भी कोटि से 4%) आरक्षित हैं (देखें परिशिष्ट-1)।
- ii. स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतिनी के लिये 9 पदें (किसी भी कोटि से 2%) आरक्षित हैं (देखें परिशिष्ट-1)।

2. टेन्योर पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें:

- i. विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट-1 में वर्णित विवरणी के अनुसार रिक्तियाँ इस पैनल से भरी जायेगी।
- ii. वैसे चिकित्सक शिक्षक, जिन्हें एक से अधिक विषयों में स्नातोकतर उपाधि प्राप्त है, एवं उन सभी विषयों के लिये यदि वे आवेदक होते हैं, तो उन्हें विभागवार अलग-अलग आवेदन देना होगा तथा इसका उल्लेख Online आवेदन में करना होगा। एक बार किसी विषय में चयनित आवेदक का किसी भी परिस्थित में दूसरे विषय में चयन नहीं किया जायेगा। जिन अध्यर्थियों की डिग्री की मान्यता MCI/ DCI से प्राप्त नहीं है उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जायेगा।
- iii. अध्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों को निम्नरूपेण मूल्यांकन हेतु आवंटित किया जायेगा-

(क) तीन एम0बी0बी0एस0 विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग-

70% से ऊपर-5, 65% से ऊपर-4, 60% से ऊपर-3, 55% से ऊपर-2 एवं 50% से ऊपर-1

नोट : एक या अधिक एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामले में खास एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 परीक्षा में प्राप्तांकों के कुल योग की गणना, सम्बन्धित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उर्त्तीर्णता के अंकों का मध्यमान निकाल कर की जायेगी।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुशंसा के अनुसार स्पेशियलिटी विषय या विषय समूह में प्राप्तांक।

70% से ऊपर-5, 65% से ऊपर-4, 60% से ऊपर-3, 55% से ऊपर-2 एवं 50% से ऊपर-1

नोट : आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामलें में प्राप्तांकों की गणना अनुत्तीर्णता एवं उर्त्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जायेगी।

(ग) स्पेशियलिटी में एम0डी0 / एम0एस0 - 10 अंक

(घ) उसी स्पेशियलिटी में पी0एच0डी0 / डी0एम0, एम0सी0एच0 - 10 अंक

(ड) बिहार राज्य के अन्तर्गत सरकारी / अर्द्धसरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रति पूर्ण वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) - 10 अंक

(च) साक्षात्कार (स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार लिये जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अतः सभी अध्यर्थियों को समान रूप से 06 अंक प्रदान किये जायेंगे) - 06 अंक

नोट : सरकारी क्षेत्र में नियमित / सर्विदागत कार्यानुभव ही मान्य होंगे। किसी भी प्रकार के शैक्षणिक पाठ्यक्रम / फेलोशिप / प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के कार्यानुभव के आधार पर अंकों की गणना नहीं की जाएगी।

- (छ) किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से समान डिग्री के दुहराव के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। ऐसे एम0आर0सी0पी, एफ0आर0सी0एस0 आदि जो 11.11.1978 एवं उसके बाद प्राप्त किये गए हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जाएगा।
- iv. विश्वविद्यालय एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 परीक्षाओं में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिये 01(एक) अंक घटाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों वे इस पैनल हेतु पात्र नहीं होंगे।
- v. नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हतांक 16 (सोलह) होगा।
- vi. यदि किसी विषय या विभाग में एक या दो ही रिक्तियाँ उपलब्ध हों तो ऐसी स्थिति में BHS/ PGS/ PGO में से अधिकतम अंक पानेवाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। BHS से तात्पर्य बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधिन नियमित रूप से कार्यरत सभी कर्मी हैं।
- vii. जिन चिकित्सकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, अथवा फौजदारी मुकदमा दायर हो, अथवा जो निलम्बित हो अथवा लम्बे अवकाश में हो, उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा।
- viii. वैसे चिकित्सक जो पूर्व में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद पर तीन वर्ष का टेन्योर पूर्ण कर चुके हैं वे सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के वर्तमान पद पर आवेदन देने के योग्य नहीं होंगे। प्रत्येक आवेदक को एक शपथ-पत्र मूल रूप से साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने पूर्व में आवेदित विषय में NMC / MCI / DCI से मान्यता प्राप्त चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल / संस्थान में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर (तीन वर्षीय) के रूप में कार्य नहीं किया है। शपथ पत्र नहीं दिये जाने की स्थिति में आवेदक की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।
- ix. चयनोपरान्त पदस्थापन सम्बन्धी विभाग का निर्णय अन्तिम होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पदस्थापन सम्बन्धी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- x. वैसे चिकित्सक जो सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद पर तीन वर्ष का टेन्योर पूर्ण कर चुके हैं वे उस विषय में दोबारा सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद के लिए पात्र नहीं होंगे। उससे भिन्न किसी अन्य विषय में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद के लिये वह अभ्यर्थी पात्र माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने पूर्व में बिहार राज्य के अंतर्गत सरकारी / अर्द्धसरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में किसी अन्य विषय में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद पर कार्य किये हों, को कार्यानुभव का अंक प्रदान किया जायेगा।
- xi. स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- सं.सं.-17/विविध-01-27/2022-135(17) दिनांक 06.02.2023 के अनुसार पी.जी. / डिप्लोमा उत्तीर्ण तीन वर्षीय बंध-पत्र से अच्छादित वैसे छात्र, जिन्हें सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद पर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में पदस्थापित नहीं किया गया है, उन्हें नियंत्री पदाधिकारी द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं विभागीय अनापत्ति प्राप्त किये जाने की शर्त के साथ अभ्यर्थी को सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों पर नियुक्त हेतु अनुपत्ति प्रदान की गयी है। सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद पर कार्यविधि की गणना बॉण्ड अवधि में की जायेगी। इस हेतु अभ्यर्थी को विभागीय NOC लाना अनिवार्य होगा।
- xii. कॉउन्सेलिंग हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
- xiii. Civil appeal no. 9482/2019 डा. (मेजर) मीता सहाय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 17.12.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार राज्य के अंतर्गत सभी सरकारी / गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय द्वारा संचालित सहित) चिकित्सा संस्थानों का कार्यानुभव मान्य होगा। सक्षम प्राधिकार (प्राचार्य / अधीक्षक/ सिविल सर्जन / निदेशक) द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- xiv. NMC के अद्यतन मार्ग निर्देश (Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations, 2022) के अनुसार DNB / DNB Super Speciality सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद पर चयन हेतु मान्य अर्हता मानी जायेगी। इन्हें भी नियमावली में अन्य अभ्यर्थियों के समरूप प्रकार से ही अंक प्रदान किये जायेंगे। सुयोग्य उम्मीदवारों की कमी होने के स्थिति में Non Medical Post-Graduates with M.Sc (Medical) Degree in Anatomy, Physiology, Biochemistry ट्यूटर के पद पर चयन हेतु मान्य अर्हता मानी जायेगी। इन्हें भी नियमावली में अन्य अभ्यर्थियों के समरूप प्रकार से ही अंक प्रदान किये जायेंगे। परन्तु मेधा सूची में उनका स्थान स्नातकोत्तर उपाधि (MS/ MD) प्राप्त अभ्यर्थियों से नीचे होगा।
- xv. स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-1795(2) दिनांक 18.10.2019 एवं पत्रांक- 1749 / दिनांक 14.10.2019 के नियमानुसार फॉर्मूला के आधार पर CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत / अंकों में परिवर्तित किया जायेगा।

3. साक्षात्कार शुल्क :

Unreserved (UR) / EWS / EBC / BC / SC / ST / DQ : **Rupees 2250/- (Two thousand two hundred fifty).**

4. **Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया :** राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटोर के रिक्त पदों (टेन्योर तीन वर्षीय) पर नियुतक्त हेतु पैनल निमार्ण में सम्मिलित होने के लिये विवरण-पुस्तिका पर्षद के Website: bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं। **Online** आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी पर्षद के उक्त वेबसाइट पर जा कर "Online Portal of Senior Resident / Tutor under Health Dept." Link पर Click करने के पश्चात् "Apply for Senior Resident / Tutor" Link पर Click करें। इसके उपरान्त आवेदन प्रपत्र भरने हेतु जो निर्देश (**Instruction**) दिखेगा, उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें।

i. **Step-One (Registration) :**

इस परीक्षा हेतु Registration (निबंधन) के लिए सारी सूचनाएँ (Information) Step-1 के अंतर्गत कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन प्रपत्र में सही-सही अभ्यर्थी द्वारा भरना होगा। अभ्यर्थी Registration करने के समय यह ध्यान रखें कि वे अपना ही email ID एवं Mobile No. का इस्टेमेल कर रहे हैं, क्योंकि Registration से संबंधित सभी सूचनाएँ उसी email ID एवं Mobile No. पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दिये गये Mobile No. एवं email ID को सत्यापित करने हेतु उक्त दोनों पर अलग-अलग सत्यापन कोड (Verification Code) भेजा जाएगा, जिसे अभ्यर्थी द्वारा Registration करने के क्रम में सत्यापन कोड (Verification Code) डालकर सत्यापित करना होगा। Mobile No. एवं email ID के सत्यापन के बाद सफलतापूर्वक Registration हो जाने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में Mobile No. एवं email ID का बदलाव नहीं किया जाएगा। सफलतापूर्वक Registration हो जाने के बाद अभ्यर्थी के Registered Mobile No. एवं email ID पर सफलतापूर्वक Registration हो जाने की सूचना प्राप्त होगी। इसके बाद अभ्यर्थी आवेदन को पूर्ण रूप से Online भर कर जमा करने हेतु अपने Account में login करें जिसके लिए वे अपना Registered email ID तथा Registration के क्रम में दिये गये Password को डालकर "Sign In" बटन पर click करें तथा आगे की प्रक्रिया को पूरा करें। Registration के क्रम में अभ्यर्थी अपने द्वारा दिये गये Password को गोपनीय रखें अन्यथा पर्षद किसी भी तरह की परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी के द्वारा दिया गया email ID ही उनका User Name होगा।

ii. **Step-Two (Personal Information) :**

सफलतापूर्वक Registration कर पुनः अपने Account में Login करने के उपरान्त कम्प्यूटर स्क्रीन पर Personal Information से संबंधित required entries पूरी तरह भरें एवं Submit & Continue बटन पर Click करें।

iii. **Step-Three (Upload Photo & Signature) :**

Personal Information भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च कंट्रास्ट का रंगीन पासपोर्ट साईज़ फोटो एवं अपना हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर कम्प्यूटर स्क्रीन में दिये गये निरेंश के अनुसार Scan कर निर्धारित स्थान पर Upload करें। फोटो Placard के साथ (जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटों खिंचवाने की तिथि अंकित हो) खिंचवाया हुआ ही प्रयोग में लाना आवश्यक है। निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर Upload करने के बाद Submit & Continue बटन पर Click करें।

iv. **Step-Four (Educational Information) :**

Scan किया हुआ फोटो एवं हस्ताक्षर Upload करने के बाद अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सूचनाओं (Educational Information) को कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकतानुसार भर कर Submit & Continue बटन पर Click करें।

v. **Step-Five (Application Preview) :**

Educational Information भरने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह जांच लें। यदि जांच के क्रम में Step-Two, Step-Three एवं Step-Four में दी गयी सूचना गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी अपने उस सूचना को Back to Edit बटन पर Click कर अपने Information को सुधार कर Submit & Continue बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा पुनः दिये गये सूचनाएँ Update हो सकें।

भरे गए आवेदन प्रपत्र के Preview में सारी सूचनाएँ सही हैं तो अपना Declaration देकर Confirm & Submit बटन पर Click करें, ताकि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कर सकें।

vi. **Step-Six (Payment of Examination Fee) :**

अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सारी प्रविष्टियों के Preview को देखकर Submit करने के बाद Proceed to Payment बटन पर Click कर कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवेदन शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार Payment की प्रक्रिया को पूरी करें। जमा किये गये आवेदन शुल्क को लौटाया नहीं जायेगा।

आवेदन शुल्क जमा करने की निर्मांकित प्रक्रियाएँ हैं :

- Online Payment :** अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान Online यथा; क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग अथवा UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो वे कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे Payment Mode को Select कर क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग अथवा UPI के माध्यम से करें। परीक्षा शुल्क जमा करने पर उसमें लगने वाली अतिरिक्त राशि (Processing Charge) का भुगतान अभ्यर्थी को ही करना पड़ेगा।

- उपरोक्त विधियों से आवेदन शुल्क का भुगतान से संबंधित आवश्यक विवरणी निम्नवत् है;

Unreserved (UR) / EWS / EBC / BC / SC / ST / DQ कोटि के उम्मिदवार के लिए **2250/- (Two thousand two hundred fifty)** रुपये की राशि आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

- vii. **Step-Seven (Download Hard Copy) :** पर्षद द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गये सारी प्रविष्टियाँ एवं पर्षद द्वारा उपलब्ध कराया गया Registration No. होगा, जिसका उपयोग कॉन्सेलिंग के समय या भविष्य में आपके द्वारा किया जा सकता है।

- नोट :**
- (a) Download किये गये आवेदन प्रपत्र की Hard Copy को पर्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रपत्र को कॉउन्सलिंग के समय पर्षद को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इसलिए अभ्यर्थी इस प्रपत्र को सुरक्षित रख लें।
 - (b) उपरोक्त सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अन्तिम रूप से Online Application Form Submit करने के बाद Application Form में परिवर्तन / संशोधन का प्रावधान नहीं है।
 - (c) अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि Application Form के Submission के बाद इसे न तो Withdraw किया जा सकेगा और न ही जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाने का अनुरोध ही स्वीकार किया जायेगा।
 - (d) इन्स्टरेट या पोस्टल या बैंकग व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- 5.
- (i) यदि अभ्यर्थी को Online Application Form भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना / फोटो / हस्ताक्षर Upload करने में गलती हुई है तो उसे सुधार करने हेतु Edit करने का मौका दिनांक **13.03.2023** को दिया जाएगा।
 - (ii) Online Application Form में सुधार (Edit) केवल वैसे अभ्यर्थी ही कर सकते हैं, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना Online Application Form पूर्ण रूप से भर का सफलतापूर्वक आवेदन शुल्क जमा कर दिया हो।
 - (iii) अभ्यर्थी अपने Online Application Form में सुधार (Edit) करने हेतु Application के Home Page पर जाकर Sign In button को Click कर अपने email ID एवं Password को डालें एवं Submit बटन पर Click कर अपने Account में Login करें तथा आवश्यक सुधार कर Submit & Continue बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा Edit किये गए Entries Update हो सके एवं युनिट: Edited आवेदन प्रपत्र की Hard Copy Download कर Print निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें।
6. सीनियर रेजिडेन्ट / ट्र्यूटर को नियुक्ति-2023 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ :-
- | | |
|--|----------------------------------|
| (i) Online Registration Starting Date | : 22.02.2023 |
| (ii) Online Registration Closing Date | : 12.03.2023 (10.00 P.M.) |
| (iii) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card / UPI and submission of the Online Application Form of Registered Candidate. | : 12.03.2023 (11.59 P.M.) |
| (iv) Online Editing of Application Form | : 13.03.2023 (11.59 P.M.) |
| (v) Date of publishing / Uploading of Provisional Merit List | : To be notified later on |
| (vi) Date of Receipt of Objections | : To be notified later on |
| (vii) Proposed Date of Counselling / Document Verification | : To be notified later on |
| (viii) Date of Publishing / Uploading of Final Merit List | : To be notified later on. |
7. **अन्य निदेश :**
- i. अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टि अन्तिम एवं अपरिवर्तनीय होगी। किसी भी परिस्थिति में इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा।
 - ii. अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। इसके लिए अभ्यर्थी पूर्णरूप से स्वयं जिम्मेवार होंगे।
 - iii. किसी उम्मीदवार को कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए पात्रता / अपात्रता के बिन्दु पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद / स्वास्थ्य विभाग, बिहार का निर्णय अंतिम होगा।
 - iv. वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/ अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से बच्चित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है।
 - v. किसी भी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत / अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
 - vi. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बिना कारण बताये पदवार उपलब्ध रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - vii. विवरण-पुस्तिका (Prospectus) में उल्लिखित सम्बन्धित किसी भी नियम / सूचना / प्रावधान को संशोधन / विलोपित / परिवर्तित करने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद / स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को होगा। ऐसे संशोधन / विलोपन / परिवर्तन को कॉउन्सेलिंग से यथा साथ्य पहले या कॉउन्सेलिंग के समय उम्मीदवार को सूचित कर दिया जायेगा।
 - viii. इस पैनल निर्माण के सम्बन्ध में किसी विवाद को, उच्च न्यायालय, पटना या पटना स्थित किसी न्यायालय में ही दायर किया जा सकेगा।
सूचना एवं पटना स्थित किसी न्यायालय में दायर वाद हेतु नोडल पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से वाद / प्रतिवाद दायर किया जा सकेगा।
 - ix. अगर भूलवश किसी आवेदक / उम्मीदवार को कॉउन्सेलिंग में आने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और अगर इस भूल का पता मेथा सूची में सम्मिलित होने के बाद या नियुक्ति के उपरान्त चलता है तो वैसे उम्मीदवार को मेथा सूची में सम्मिलित होने के बावजूद भी नियुक्ति से बच्चित कर दिया जायेगा या नियुक्ति के उपरान्त भी सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक उम्मीदवार का दावा / अधिकार अमान्य होगा।
 - x. अगर किसी आवेदक उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाता है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

- xi. मेधा सूची प्रकाशन के उपरान्त कॉउन्सेलिंग में मूल प्रमाण-पत्रों / अभिलेखों आदि की सघनता से जांच की जायेगी। अगर ऐसी जांच में नकली प्रमाण-पत्र होने या अन्य रूप से कदाचार में लिप्त होने का अगर किसी उम्मीदवार को दोषी पाया जायेगा तो उनकी उम्मीदवारी तत्क्षण रद्द एवं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

8. Other Important information :

- (1). Candidates who have passed with grace marks, only actual marks obtained by the candidates shall be counted. Grace marks awarded to him are not to be considered / counted.
- (2). Recognized or permitted Institutes / Colleges are to be treated similarly.
- (3). If a candidate has joined service (i.e. is in BHS) before last date of receipt of application, he is to be considered as BHS for all purposes.
- (4). Result declared after last date of receipt of application will not be entertained. Last date of the month on which examination was held is to be treated as date of passing.
- (5). All candidates have to produce their failure marks sheet. Unable to do so will make his candidature as Not Eligible.
- (6). For all foreign graduates, marks awarded in MCI / DCI conducted eligibility exam (FMGE) are to be used for calculation for all purposes. Marks of his Degree will not be considered,
- (7). Candidates having obtained higher qualification (Super specialization) in related course are to be taken into consideration for awarding points.
- (8). Candidate who have done Post Graduate in broad speciality subject, but have applied for S.R./ Tutor in related / allied super speciality subject are to be considered eligible for super speciality SR ship.
 - a) MD Medicine candidates are to be considered eligible for S.R. in **Geriatrics** provided the candidates have applied for S.R. in Geriatrics.
 - b) MD / MS / DNB in General Medicine/ Anaesthesia/ Respiratory Medicine/ General Surgery/ Orthopaedics candidates are to be considered eligible for S.R. in **Emergency Medicine** provided the candidates have applied for S.R. in Emergency Medicine.
 - c) MD / MS in Orthopaedics/ PMR/ General Medicine candidates are to be considered eligible for S.R. in **Sports Medicine** provided the candidates have applied for S.R. in Sports Medicine.
 - d) MD in Transfusion Medicine/ Pathology candidates are to be considered eligible for S.R. in **Immuno Hematology & Blood Transfusion** provided the candidates have applied for S.R. in immuno hematology & blood transfusion.
- (9). All candidates who have done super speciality e.g. MCH / DM directly after passing MBBS are to be awarded 20 points (10 for PG & 10 for Super speciality) just as candidates who have done DM / MCH after MD / MS etc.
- (10). All such candidates who are working as lecturer or Asst. Prof. (without doing SR / Tutor) are to be considered eligible for SR / Tutor.
- (11). Candidates who have not submitted Non Creamy Layer Caste Certificate during counselling / documents verification are to be considered as UR candidates.
- (12). Every eligible candidate has to submit an affidavit stating that He / She has never been appointed and completed the 3 years tenure post of SR / Tutor in applied subject.

परिशिष्ट-1

अधियाचित पदों की विवरणी (सत्र 2023)

पद का नाम : सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर

| क्र. सं. | विभाग का नाम | अनारक्षित | | अनुसूचित जाति | | अनुसूचित जनजाति | | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | | पिछड़ा वर्ग | | आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग | | पिछड़ा वर्ग की महिला (7) | कुल रिक्त पद | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/ नाती/नातिनी को 2% | दिव्यांग को 4% | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|----------------|---------------|------------------|--|--|--|
| | | (1) | | (2) | | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | | | | | वी. आई. | डी.डी. एच. | ओ. एम. डी. | | | |
| | | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) | | | | | | | | | |
| 1 स्त्री रोग एवं प्रसव | 23 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 2 हड्डी रोग | 22 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 3 शिशु रोग | 24 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 4 सर्जरी | 25 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 5 दंत | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 6 नेत्र | 14 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 7 इमर्जेंसी मेडिसिन | 44 | 16 | 18 | 7 | 1 | 0 | 20 | 8 | 13 | 4 | 11 | 3 | 3 | 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 8 स्पोर्ट्स मेडिसिन | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 इप्पूनो हेमोटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| कुल | 182 | 62 | 91 | 26 | 6 | 1 | 99 | 32 | 67 | 18 | 43 | 13 | 16 | 504 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | |

नोट : विषयवार / कोटिवार पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग के समय सूचित कर दिया जाएगा।